राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई) (519/94)/अलेसे–III/ 8229-8237 दिनांक :– 2/8/13

आदेश संख्या 182/2013–14

यतः श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनि0 लेखाकार (निलंबित) (मेरिट नम्बर 519/94) को आपराधिक परिवाद संख्या 1917/2006 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2010 द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोष सिद्ध कर एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनि0 लेखाकार (निलंबित) का वह आचरण, जिसके कारण सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोकसेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा।

अतः अब अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनि0 लेखाकार (निलंबित) को एतद् द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता हैं।

निदेशक एवं
अनुशासनिक अधिकारी

क्रमांक :– एफ.4(ई) (519/94)/अलेसे–III/ 8229-8237 दिनांक :– 2/8/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, विधि/जाँच, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनि0 लेखाकार (लिंक नं0 2978) (निलंबित) द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनि0 लेखाकार (लिंक नं0 2978) (निलंबित), 29, सुन्दर विहार, दुर्गापुर, जयपुर। 302018 रजिस्टर्ड
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार–शाखा अलेसे–III
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु)।
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)